

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 390 / 2007  
संस्थान दिनांक 27.09.2007

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

1. बिहारी पिता नंदराम मारु, आयु 62 वर्ष
  2. मनोज पिता बिहारीलाल मारु, आयु 40 वर्ष
  3. विजय पिता बिहारीलाल मारु, आयु 36 वर्ष
- सभी निवासीगण- ग्राम चिचली  
तहसील-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 28.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 207 / 2007 अंतर्गत 353, 332, 294, 506, 341 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 27.09.2007 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 20.08.2007 दिन के 3:30 बजे, ग्राम चिचली पर फरियादी पर्वतसिंह, जो लोक सेवक था और लोक सेवक के नाते रोड़ का अतिक्रमण हटवा रहा था, उक्त लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य निवारण से निवारित करने में स्वैच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारित करने के संबंध में धारा 332 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 28.10.2014 को फरियादी पर्वतसिंह तथा अभियुक्तगण बिहारी, मनोज एवं विजय के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तों को धारा 294, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी पर्वतसिंह के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 332 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा साक्षीगण अभियुक्तों को जानते हैं।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2007 को दिन के 3:30 बजे ग्राम चिचली का सरपंच पर्वतसिंह अपने साथ जनपद सदस्य जगदेव एवं पंच राजेन्द्रसिंह को लेकर अभियुक्त बिहारी द्वारा रास्ते पर लगाये गये अतिक्रमण को हटाने गया तो अभियुक्त बिहारी मधु एवं विजय ने उसे माँ-बहन की अश्लील गोलिया दी और कहा कि अतिक्रमण कैसे हटायेगा। अभियुक्त मधु एवं विजय ने उसे पकड़ लिया और बिहारी ने उसे हाथ मुक्कों से मारपीट की उसके दोनों हाथ, पीठ एवं पैर पर चोटें आईं। उसे जगदेव एवं राजेन्द्र ने बीचबचाव किया। अभियुक्तों ने जान से मार डालने की धमकी भी दी। पर्वतसिंह को अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार ने आदेश दिया था। लेकिन अभियुक्तों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और पर्वतसिंह के साथ मारपीट की। पुलिस ने फरियादी पर्वतसिंह द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त बिहारी, अप्पु उर्फ मनोज एवं विजय के विरुद्ध अपराध क्रमांक 207/2007 अंतर्गत धारा 353, 332, 294, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने फरियादी पर्वतसिंह की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 353, 332, 294, 341, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री विवेक श्रीवास्वत, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग-2, 332 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्तों ने दिनांक 20.08.2007 दिन के 3:30 बजे, ग्राम चिचली पर फरियादी पर्वतसिंह जो लोक सेवक था और लोक सेवक के नाते रोड़ का अतिक्रमण हटवा रहा था, उक्त लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य निवारण से निवारित करने में स्वैच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी पर्वतसिंह (अ.सा.1), नारायण धनारे (अ.सा.2), राजेन्द्र (अ.सा.3), पी.एस. सोलंकी (अ.सा.4) एवं सहायक उपनिरीक्षक कमल दवाने (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी पर्वतसिंह असा 1 का कथन है कि वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक वह ग्राम पंचायत चिचली का निर्वाचित सरपंच था। वर्ष 2007 में तहसील कार्यालय ठीकरी से गाँव में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के संबंध में आदेश आया था और अतिक्रमण हटाने के लिए उसे अधिकृत किया गया था। उसने गाँव के बिहारी एवं कैलाश का अतिक्रमण हटवाया था। अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर बिहारी एवं जगदेव के मध्य आपस में विवाद हुआ था जो उन्होंने शांत किया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट और नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि बिहारी ने सड़क के किनारे पाला डाल दिया था जिससे रोड़ जाम हो गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे तहसील से प्रदर्शपी 3 का आदेश अतिक्रमण हटाने के लिए प्राप्त होने पर वह अभियुक्त बिहारी का अतिक्रमण हटाने गया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि अभियुक्तों ने अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर उसके साथ गाली-गलोच मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 रिपोर्ट एवं पुलिस कथन प्रदर्शपी 4 में उक्त बातें लिखाने से इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसका अभियुक्तों से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह अभियुक्तों को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

8. नारायण असा 2 , राजेन्द्र असा 4 ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। साक्षियों ने घटना के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इंकार किया है। इन साक्षियों को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2007 में जनपद पंचायत ठीकरी का सदस्य था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दिनांक 20.08.2007 को वह पर्वतसिंह के साथ बिहारी का अतिक्रमण हटाने गया था तो अभियुक्तों ने फरियादी को हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को कोई कथन देने से भी इंकार किया है।

9. पी.एस. सोलंकी असा 5 का कथन है कि वह वर्ष 2003 से लेकर 2008 तक ठीकरी में तहसीलदार के पद पर पदस्थ था। जनपद पंचायत ठीकरी के सदस्यों ने अभियुक्तों द्वारा चिचली के मार्ग पर अतिक्रमण करने के संबंध में शिकायती आवेदन उसके सामने पेश किया था, तो उसने दिनांक 27.07.2007 को विवादित स्थान का निरीक्षण किया था। उसने ग्राम के सरपंच को अतिक्रमिक व्यक्तियों द्वारा रास्ते पर डाले गये पाले को हटाने के लिए आदेशित किया था, जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्शपी 3 है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा सरपंच और जनपद सदस्य को आदेशित करने के बाद अतिक्रमण हटाने में कोई बाधा या दखल की शिकायत उसे प्राप्त नहीं हुई थी।

10. सहायक उपनिरीक्षक कमल दवाने असा 6 का कथन है कि दिनांक 20.08.2007 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 207/2007 की विवेचना के दौरान उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने आसापास के कृषकों के कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया था कि जो व्यक्ति मौके पर उपस्थित थे उन्हीं के कथन लिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि मौके पर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

11. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी पर्वतसिंह असा 1 तथा घटना के चश्मदीद बताये गये साक्षियों ने अभियुक्तों द्वारा फरियादी के साथ उसके लोक कृत्य का निर्वहन करते समय उसके साथ मारपीट करने या उसके कार्य में बाधा डालने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने पर्वतसिंह असा 1 जो कि लोक सेवक के नाते कार्य कर रहा था, को कर्तव्य पालन में निवारित करने के आशय से उसे मारपीट कर स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 332 का अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

12. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त बिहारी, मनोज एवं विजय के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 332 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी